

आदेश

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 (1) में निहित प्रावधान के आलोक में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के लिए जन सूचना पदाधिकारी के रूप में श्रीमती अन्नेपु विजयालक्ष्मी, भा0पु0से0, पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), झारखण्ड, राँची को तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड
के आदेशानुसार

वे
25-09-20

पुलिस महानिरीक्षक (अभियान),
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 489 / सूचनाधिकार

28-30 / 2009

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक- 25/09/2020

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची की सेवा में कृपया सूचनार्थ।
2. मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची की सेवा में कृपया सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा में कृपया सूचनार्थ।
4. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/रेल, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार/प्रोविजन/प्रशिक्षण/मुख्यालय/अभियान/झारखण्ड जगुआर/झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, को सूचनार्थ।
8. सभी क्षेत्रिय पुलिस उप-महानिरीक्षक (झा0स0पु0 सहित), झारखण्ड को सूचनार्थ।
9. पुलिस उप-महानिरीक्षक, (बजट) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।
10. श्रीमती अन्नेपु विजयालक्ष्मी, (भा0पु0से0), पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
11. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची, जमशेदपुर, धनबाद/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा (आई0आर0बी0 सहित), झारखण्ड को सूचनार्थ।
12. प्रभारी, एन0जी0ओ0, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ।
13. रक्षित पदाधिकारी/आगत/निर्गत शाखा प्रभारी, पुलिस मुख्यालय राँची को सूचनार्थ।

14 प्रभारी डायरेक्टर, पुलिस मुख्यालय, राँची

वे
25-09-20

पुलिस महानिरीक्षक (अभियान),
झारखण्ड, राँची।